उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-6/2017-एस0ई0-4-1660/दस-2017-ई-21/2017
लखनऊ : दिनांक : 20 जून, 2017

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 के नियम-3 के अधीन मा0 वित्त मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि वित्त विभाग में निम्नलिखित कार्य मा0 राज्य मंत्री जी अपने स्तर से निस्तारित करेंगे:-

(1) वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों के अधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त मामले।
(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 तथा 2, ट्रेजरी/सब ट्रेजरी मैनुअल।
(3) पी0एल0ए0 प्रणाली/स्टोर परजेज नियम।
(4) खाद्यान्नों की हानियां तथा उससे संबंधित गबन के मामले।
(5) प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण अवधि को ड्यूटी पर माना जाना।
(6) विशेष वेतन।
(7) प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा के समस्त मामले।
(8) मकान किराया भत्ता।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी मामले अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा सीधे मा0 वित्त मंत्री जी को प्रस्तुत किए जायेंगे।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2017-एस0ई0-4-1660(1)/दस-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) श्री राज्यपाल के सचिव।
(2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
(3) मा0 मंत्री, वित्त के निजी सचिव।
(4) मा0 राज्य मंत्री, वित्त के निजी सचिव।
(5) मुख्य सचिव के निजी सचिव।
(6) अपर मुख्य सचिव, वित्त के निजी सचिव।
(7) प्रमुख सचिव, वित्त के निजी सचिव।
(8) वित्त विभाग के समस्त अधिकारीगण।
(9) वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
(10) गोपन अनुभाग-1

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।